नम्बर /वर्ष 144/2022 अनवानी मोटाराम बनाम सरकार आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
7/11/24	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा टिडियासर के साबिका खसरा न0 69 की 100 बीधा के हाल खसरा न0 47 की 3.5410हैक्‍ खसरा न0 213 की 21.7510हैक्‍ में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी की धोषणा व धारा 15 एएए(3)(2क) के तहत निशुल्क खातेदारी हेतु वाद पेश/विचाराधीन है उपरोक्त वाद के सदर्भ में पूर्व में रोही मौजा टिडियासर के साबिका खसरा न0 69 की 100 बीधा के हाल खसरा न0 47 की 3.5410हैक्‍ खसरा न0 213 की 21.7510हैक्‍ भूमि के सम्बध में वादीगण के पिता द्वारा वाद संख्या 146/191 पेश किया गया था जो दिनांक 30.03.1992 को खारीज कर दिया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के संमक्ष अपील संख्या 426/94 पेश की गई जिसमें दिनांक 05.06.1995 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपीली संख्या 1/97 पेश की गई जिसमें उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा गया जिसकी रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 3474/2002 पेश की गई जिसमें दिनांक 06.01.2022 को निर्णय पारित किया जाकर रिट स्वीकार की जाकर पक्षकारन को 15 एएए (2) के प्रावधानों में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पुन डीबी रिट में रिट 37/2023 में श्योचन्द बनाम सरकार प्रस्तुत की गई जिसमें आगमी पेशी दोनो पक्षों की सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तथा वर्तमान में रिट याचिका विचाराधीन है प्रश्नगत भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय हो चुके है। वादीगण अप्रार्थीगण वाद भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है वाद भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के अनुसार गै0मु0 है गे0मु0 भूमि के लिये वादीगण खातेदारी का वाद कानुनी तौर से लाने के अधिकारी नही है वाद इसी आधार पर खारिज योग्य है माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी में रिट याचिका इसी भूमि के सम्बध में विचाराधीन है जिसके विचाराधीन रहते यह वाद लाने का अधिकारी वादीगण नही है वाद भूमि वर्षो से काश्त नही हो रही है वाद भूमि पर मकानात बने हुए है जिसमें विधुत कनैक्शन / सडके आदि का निर्माण हो चुका है तथा भूमि की किस्म आबादी में परिर्वतन हो चुकी है इसलिये कार्यलय हाजा को सुनवाई का अधिकार नही है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी वादीगण खारिज फरमाया जावे। वादीगण/अप्रार्थी के अधि[illegible] अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] निवेदन किया की वादीगण ने वाद भूमि [illegible] खातेदारी प्राप्त करने का वाद पेश नही किया गया है बल्की अपने पूर्वजों [illegible] 1955 से पूर्व की अराजी काश्त की भूमि जो उनके निरन्त[illegible] काश्त में चली आ रही है के खातेदारी अधिकार धारा 15एएए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 3474/2002 में दिनांक 06.01.2022 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण को याचिका अनुतोष की धारा 15एएए के प्रावधानों के अन्तर्ग प्राप्त होने की अवधारणा पारित की गई है तथा इसी निर्णय की पालना में यह प्रकरण रिमाण्ड होकर माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है रिट याचिका में पारित निर्णय 06.01.2022 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी रिट याचिका 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार विचाराधीन है जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही है उक्त डीबी रिट याचिका के आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता है प्रश्नगत भूमि वादीगण के पूर्वजों की आराजी काश्त संन 1955 से पूर्व की भूमि है जिसे भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा गलत व खिलाफ कानुन गैर मुमकिन दर्ज किया गया था जिसकी वैधता दावा में तय होनी है कथित आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता है।

हस्तगत वाद न्यायालय हाजा में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट याचिका 3474/2002 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2022 के निर्देशों में पेश किया गया है डीबीरिट याचिका 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार में किसी प्रकार का स्थगन या वाद विचाराधीन पर रोक नही है प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी तथ्य अंकित नही किया गया जिससे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वर्णित आधारों से सम्बधित हो प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी के पूर्वजों ने वाद भूमि रोही मोजा टिडियासर के खसरा न0 69 की 100 बीधा के हाल खसरा न0 47 की 3.5410हैक्ट खसरा न0 213 की 21.7510हैक्ट भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पेश किया गया था जो इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जिसकी अपील विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन रहने के बाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 3474/2002 पेश की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.02.2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण इस कार्यालय का सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया था माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2022 के निर्देश की पालना में वादीगण ने वाद अराजी काश्त की भूमि जो उनके पूर्वजों के सम्वत 2012 अर्थात 1955 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है का कथन कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद पेश किया गया है।

वादीगण ने वाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय/निर्देश की पालना में पेश किया गया है किन्तु उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2022 के विरूद्व प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डीबी बैच में डीबी रिट याचिका संख्या 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार प्रस्तुत की जा चुकी है जो वर्तमान में विचाराधीन है डीबी में रिट याचिका विचाराधीन रहने का कथन वादीगण/अप्रार्थी भी स्वीकार करते है

माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर की डीबी रिट याचिका संख्या 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट याचिका संख्या 3474/2002 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2002 के विरूद्व पेश की गई है [illegible] धीन है तथा न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद माननीय [illegible] जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2002 में [illegible] पालना में ही पेश की गई अर्थात जिन निर्देशो/निर्णय की पालना में वाद न्यायालय में पेश किया गया था उसी के विरूद्व डीबी में रिट या[illegible]का विचाराधीन है जिसमें निर्णय पारित होना शेष है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है वादी ने न्यायालय में जो वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेश किया गया है वह माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट यांचिका संख्या 3474/2002 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2022 की निर्देशो की पालना में पेश किया गया है निर्णय दिनांक 06.02.2022 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी रिट याचिका संख्या 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार विचाराधीन है जिस निर्णय /निर्देश की पालना में वाद पेश किया गया है उसी को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डीबी में अपील पेश की जा चुकी है ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती है अर्थात निर्णय दिनांक 06.02.022 के विरूद्व विचाराधीन डीबी रिट याचिका संख्या 37/2023 में किसी प्रकार का निर्णय पारित नही हो जाता तब तक हस्तगत वाद में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नही है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एव संपठित धारा 11 सीपीसी पर वर्तमान स्थिति पर किसी की कार्यवाही/ निर्णय किया जाना विधिसम्मत/न्यायोचित नही है प्रकरण में हस्तगत वाद की आगामी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डीबी रिट याचिका संख्या 37/2023 अनवानी श्योचन्द बनाम सरकार में निर्णय /निर्देश प्राप्त होने तक स्थगित /पेण्डिग की जाती है पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से निर्देश/निर्णय होने पर पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested